FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थी
प्रहलादपुरी पुत्र पेमापुरी जाति गोस्वामी निवासी इग्यार तहसील जायल जिला नागौर	राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 09 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21.01.2022	वकील प्रार्थी ने प्रार्थी प्रहलादपुरी की ओर से पुलिस थाना खींवसर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–06/2022 प्रकरण में प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन पिकअप नम्बर RJ 21/GC 4821 को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु धारा 457 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन की नकल अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण की स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को दिनांक 24.01.2022 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करावे। पत्रावली दिनांक 24.01.2022 को पेश हो। Sd/- जिला कलक्टर,नागौर	
24/1/22	~~वकील~~ वकुलाय ने कोरोना संक्रमण के कारण न्यायिक कार्य स्थगित रखा है। P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27.1.22 को पेश हो। Sd/-	
27/1/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री कौशलसिंह सिंह राठौड़ अभियोजन अधिकारी एवं श्री रामावतार पुनिया अभियोजन अधिकारी रसद विभाग उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत 457 सी.आर.पी.सी. पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 4821 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है। उक्त वाहन का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई दावेदार नहीं है। उक्त वाहन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–06/2022 पुलिस थाना खींवसर प्रकरण में जब्त किया हुआ है। पुलिस को उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थी दौराने मुकदमा न्यायालय द्वारा अधिरोपित हर शर्त व आदेश की पालना करेगा, तलब करने पर लाकर पेश कर देगा, खुर्द बुर्द गिरवी बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करेगा, का कथन करते हुए उक्त जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। Sd/- कलक्टर,नागौर	मुका. CD प्राप्त की [illegible] PS [illegible] 27.1.22

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ० प्रार्थना पत्र सं. 09/2022
प्रह्लादपूरी v/s राज० सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27/1/22 (लगातार)	अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 4821 रसद विभाग द्वारा जब्त किया गया है, जो वर्तमान में पुलिस थाना खींवसर की सुपुर्दगी में दिया हुआ है। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर की रिपोर्ट दिनांक–27.01.2022 के अनुसार प्रकरण में पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन में जब्त वाहन पिकअप आरजे 21 जीसी 4821 के दस्तावेज प्राप्त करने व वाहन स्वामी से अनुसंधान करना शेष है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 4821 पर एक–एक हजार लीटर की दो प्लास्टिक की टंकियां लगी हुई है, जिनमें कुल 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 4821 मय दो प्लास्टिक की टंकिया मय 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, एक मैन्यूअल पम्प मय दस फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप एवं पुलिस टीम द्वारा खरीदा गया 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या–22/2022 सरकार बनाम शैतानराम वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, इसलिए भी उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सीआरपी खारिज करने का निवेदन किया है। वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं पुलिस केश डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर की रिपोर्ट दिनांक–27.01.2022 के अनुसार प्रकरण में पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन में जब्त वाहन पिकअप आरजे 21 जीसी 4821 के दस्तावेज प्राप्त करने व वाहन स्वामी से अनुसंधान करना शेष है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 4821 पर एक–एक हजार लीटर की दो प्लास्टिक की टंकियां लगी हुई है, जिनमें कुल 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या आरजे 21 जीसी 4821 मय दो प्लास्टिक की टंकिया मय 1995 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, एक मैन्यूअल पम्प मय दस फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप एवं पुलिस टीम द्वारा खरीदा गया 5 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या–22/2022 सरकार बनाम शैतानराम वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। इस प्रकार उक्तानुसार तथ्यों एवं परिस्थितियों में उक्त जब्तशुदा वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। पुलिस केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर यह पत्रावली रसद मामला संख्या 22/2022 के साथ नत्थी हो। (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, नागौर कलक्टर, नागौर	

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)